

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री किरानलाल

बनाम

विपक्षी श्री छगनलाल व अन्य

किस्म मुकदमा - 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली संख्या - 24/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 20.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की वहरा सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित खसियों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दरतावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 एवं वाद में प्रतिवादी संख्या 2 से 14 के मध्य मिट्स एण्ड वाउन्डस से कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षी संख्या 1 प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का बिना कानूनी रूप से विभाजन कराये प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा कर रहा है तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अतः अधिवक्ता उभय पक्षकारान सहमत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

### —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बांसडा पटवार हल्का बांसडा हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2051-54 की खाता संख्या 159 की आराजी नम्बर 1755, 1756, 1759 किता 3 रकबा 4 बिघा 15 बिस्वा भूमि, खाता संख्या नया 160 की आराजी न. 1754 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा भूमि, खाता संख्या नया 161 की आराजी न. 1324 1329, 1346, 1347, 1366 किता 5 रकबा 7 बिघा 16 बिस्वा भूमि, खाता संख्या नया 162 की आराजी न. 1349 रकबा 7 बिस्वा भूमि, खाता संख्या नया 163 की आराजी न. 1142, 1143 किता 2 रकबा 17 बिघा 3 बिस्वा भूमि में भू-प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षी मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

